(भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III अनुभाग 4 में प्रकाशनार्थ)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

संख्या 324-5/2018-सीए - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में अगला संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थत् :-

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2018
(2018 का 5)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 6) (इसमें आगे जिन्हें मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड में वाक्य ''उपभोक्ता मामले और सेवा गुणवत्ता प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार और वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार को अधिकृत करना'' को वाक्य ''प्राधिकरण में उपभोक्ता मामलों से संबंधित प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार और वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण मामलों सं संबंधित प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3) मूल विनियमों के विनियम 8 में,-

(क) खंड (घ) को हटाया जाएगा;

(ख) खंड (छ) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(छ) प्राधिकरण में उपभोक्ता मामले देख रहे मुख्य सलाहकार ---- पदेन सदस्य";

(ग) खंड (ज) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ज) प्राधिकरण में उपभोक्ता मामले देख रहे सलाहकार ----- पदेन संयोजक सदस्य"

4) मूल विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (1) में वाक्य ''दि एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया" को हटाया जाएगा।

5) मूल विनियमों के विनियम 10 के उपविनियम (1) में वाक्य ''दो माह पूर्व" को शब्द ''पर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6) मूलय विनियमों के विनियम 13 में, -

(क) खंड (क) में, शब्द ''दो" को शब्द ''पाँच" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''(ख) विनियम 8 के खंड (ग) और (घक) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यो के संबंध में, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा सेवा प्रदाताओं की ऐसी अन्य एसोसिएशन द्वारा।"

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

टिप्पणी 1--- मूल विनियम अधिसूचना संख्या 322/4/2006/क्यूओएस (सीए) के तहत दिनांक 15 जून, 2007 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2--- मूल विनियमों में अधिसूचना संख्या 322-8/2010-सीए के द्वारा संशोधन किए गए थे और 7 मार्च, 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 3--- मूल विनियमों में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए के द्वारा संशोधन किए गए थे और ये 10 जुलाई, 2013 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 4--- मूल विनियमों में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए के द्वारा संशोधन किए गए थे और 26 जून, 2014 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 5--- व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 5) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6), जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है, जारी किया था। मूल विनियमों के अनुसार, ''दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ)" बनाया गया है। निधि की आय का उपयोग उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण से जुड़े कार्यों और कार्यक्रमों को करने में किया जाता है, जो प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि उपयोग समिति (सीयूटीसीईएफ) की सिफारिशों के अनुसरण में स्वीकृत किए गए हैं।

2) वर्तमान सीयूटीसीईएफ में सेवा प्रदाता एसोसिएशनों के पांच सदस्य अर्थात् दो सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) से और दो एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) से एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोशियेशन ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई) का एक सदस्य शामिल हैं। बहरहाल, एयूएसपीआई बंद हो गई है। इसलिए सीयूटीसीईएफ से एयूएसपीआई का नाम हटाना अपेक्षित है। तदनुसार, इस संशोधन कि जरिये सीयूटीसीईएफ की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है।

3) समिति अपनी वार्षिक बैठक में अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देते समय, वित्त वर्ष में टीसीईपी निधि से किए गए विभिन्न कार्यों के साथ आय एवं व्यय की समीक्षा करती है। बहरहाल, वित्त वर्ष की पिछली तिमाही में प्राप्त आय और किए गए व्यय के विवरण समिति के विचारार्थ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मूल विनियमों के विनियम 10 में विनिर्धारित समयसीमा के अनुसरण में पिछली तिमाही से पहले समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है, जिसमें समिति अगले वित्त वर्ष के शुरू होने से दो माह पहले प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु बजट अनुमान प्रस्तुत करती है। इसके लिए प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समयसीमा संबंधी प्रावधान में उपयुक्त बदलाव करना जरूरी हो गया था इसलिए इस संबंध में इन विनियमों के जरिये संशोधन किए गए हैं।

4) भादूविप्रा के विभागों का पुनर्गठन किया गया है, अब उपभोक्ता मामले (सीए) और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) दो अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। संबंधित प्रावधानों में परिणामी बदलावों के अनुसार, विनियम में बदलाव किए गए हैं।